



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 12.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 230/2023 धारा 147/452/323/308/506/504 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.03.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री विनोद कुमार पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.सतीश, 2.अंकुश उर्फ रविन्द्र, 3.सतवीर उर्फ काला, 4.सतपाल पुत्रगण ब्रजपाल, 5.ब्रजपाल पुत्र बलजोरे निवासीगण ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत द्वारा उसके घर में घुसकर उसके व उसके परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की जिससे उसके सिर में गम्भीर चोट आयी व उसे जान से



मरने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 230/2023 धारा 147/452/323/308/506/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 230/2023 धारा 147/452/323/308/506/504 भादवि में वांछित एक अभियुक्त ब्रजपाल को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ब्रजपाल पुत्र बलजोरे निवासी ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कैलाशनाथ थाना कोतवाली बागपत ।

2-है0का0 04 मुकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 12.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक गाड़ी पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे एक गाड़ी पिकअप नं0 HR-56B-7990 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 239/2023 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सोनू पुत्र प्रेमसिंह निवासी सिवाया थाना व जिला जिन्द हरियाणा ।

2-अबरार उर्फ बब्लू पुत्र खलील निवासी गगेरू थाना कांधला जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण-

- एक गाड़ी पिकअप नं० HR56B7990
- क्रुरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री कैलाशनाथ कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-है०का० 04 मुकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

3-है०का० वीरपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

4-का० जसवीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट  
थाना बडौत

दिनांक 12.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 207/23 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक ट्रक नं0 RJ-14-GB-8365 जिसमें से 08 प्रतिबन्धित पशु, मो0सा0 स्प्लेण्डर प्लस नं0 RJ-02-BZ-8391, मो0सा0 सीडी डीलक्स नं0- RJ-02-AB-8290 व 20 रस्सी के टुकड़े बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 207/23 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम से सम्बन्धित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक ट्रक नं0 RJ-14-GB-8365 जिसमें से 08 प्रतिबन्धित पशु, मो0सा0 स्प्लेण्डर प्लस नं0 RJ-02-BZ-8391, मो0सा0 सीडी डीलक्स नं0- RJ-02-AB-8290 व 20 रस्सी के टुकड़े बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-पप्पू पुत्र रामसिंह निवासी गोलाबांस थाना गाजी जनपद अलवर राजस्थान ।



2-अर्जुन पुत्र हजारी निवासी गोलाबांस थाना गाजी जनपद अलवर राजस्थान ।

3-सतनाम पुत्र सकत्तर निवासी ग्राम कम्बोह थाना तरन तारन जनपद तरन तारन पंजाब ।

4-हरपाल पुत्र जोगेन्द्र निवासी रामपुर कलां थाना जण्डिमाला गुरु जनपद अमृतसर पंजाब।

### पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग राजस्थान से गाडियां लेकर इस क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र के जंगलों में घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़ कर बांध लेते हैं तथा ट्रक में भरकर राजस्थान में ले जाकर मेवात क्षेत्र के लोगों को मंहगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं।

### बरामदगी का विवरण-

- एक ट्रक नं० RJ-14-GB-8365
- 08 प्रतिबन्धित पशु
- मो०सा० नं० RJ-02-BZ-8391
- मो०सा० नं० RJ-02-AB-8290
- 20 रस्सी के टुकडे ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री रजत कुमार थाना बडौत ।

2-उ०नि० कृपेन्द्र सिंह थाना बडौत ।

3-है०का० 231 सतवीर सिंह थाना बडौत ।

4-का० 402 विशाल पूनिया थाना बडौत ।

5-का० 403 नितिन त्यागी थाना बडौत ।

6-का० 1043 सुनील कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 12.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 125/23 धारा 504/507 भादवि में प्रकाश में आये एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण

दिनांक 13.02.2023 को थाना बडौत पर वादी श्री प्रशान्त पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम बावली थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्त प्रियंक पुत्र धनपाल निवासी ग्राम बावली थाना बडौत के द्वारा अज्ञात व्यक्ति से उसके मोबाइल फोन पर गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दिलवायी गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 125/23 धारा 504/507 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 125/23 धारा 504/507 भादवि में प्रकाश में आये एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

आशीष कुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम सरूरपुर कला थाना बागपत जनपद बागपत ।



## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सत्यम जंघाला थाना बडौत ।

2-है0का0 201 विशाल चौधरी थाना बडौत ।



प्रेस नोट  
थाना बिनौली

दिनांक 12.03.2023

**थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

अमरपाल पुत्र कर्मवीर निवासी छुर थाना सरधना जनपद मेरठ ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बिनौली ।

2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बिनौली ।

3-का0 874 सतेन्द्र सिंह थाना बिनौली ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 12.03.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 17/2023 धारा 302/201/34 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाडी ईको नं0 DL-5CK-1166 बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26-02-2023 को थाना चांदीनगर पुलिस को सूचना मिली कि प्रमोद पुत्र सुखबीर (होमगार्ड थाना चांदीनगर) निवासी ग्राम पांची ने अपनी लडकी उम्र करीब 16 वर्ष की हत्या कर शव को हिंडन नदी में फेंक दिया है । इस सूचना पर मु0अ0सं0 17/2023 धारा 302/201/34 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 17/2023 धारा 302/201/34 भादवि में वांछित एक अभियुक्त मोहित को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी ईको नं0 DL-5CK-1166 बरामद हुई है ।

**नोट:-** दिनांक 02.03.2023 को थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त प्रमोद पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत को गिरफ्तार करते हुए मृतका लडकी का शव निशादेही पर हिंडन नदी से बरामद कर न्यायिक अभिरक्षा रिमान्ड में भेजा जा चुका है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त गाड़ी ईको नं0 DL-5CK-1166

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री शिवदत्त थाना चांदीनगर ।
- 2-उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना चांदीनगर ।
- 3-है0का0 440 राशिद खान थाना चांदीनगर ।
- 4-का0 934 अश्वनी कुमार थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनाँक 12.03.2023

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

## कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



## गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

1-फुरकान पुत्र रसीद निवासी ग्राम टांडा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ०नि० श्री धीरज कुमार थाना छपरौली ।

2-का० 639 रिषीपाल थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 12.03.2023

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 23 पच्चे देशी शराब उ०प्र० मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 23 पच्चे देशी शराब उ०प्र० मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीटू पुत्र सतपाल निवासी पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- 23 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-का0 373 बब्लू थाना खेकडा ।
- 2-का0 1075 मनीष परमार थाना खेकडा ।
- 3-का0 911 श्यामवीर थाना खेकडा ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 12.03.2023

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 30 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 30 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

खालिद पुत्र युसुफ निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 30 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा।

2-का0 701 शौकिन्द्र नागर थाना खेकडा।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 12.03.2023

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 22 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 22 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश पुत्र चन्द्रपाल निवासी मौ0 विजयनगर कसबा व थाना खेकडा जनपद बागपता  
बरामदगी का विवरण-

- 22 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना खेकडा।
2. का0 447 पंकज थाना खेकडा।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 12.03.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील उर्फ बिल्लू पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम फतेहपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री महेश चन्द्र शर्मा थाना सिंघावली अहीर ।

2-है०का० 429 सिंहराज नागर थाना सिंघावली अहीर ।